

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: ६३२ / १२-१

दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त ०५/२०२५

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 1950/12-1 दिनांक 30.01.2025.

महोदय,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कुछ कमियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किय गया है, जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग थराली की पत्र सं० ९४/३६सी० दिनांक 22.07.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, इस वन प्रभाग से वांछित सूचना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	प्रपत्र	प्रपत्र संलग्न (हां/नहीं)
1.	सक्षम अधिकारी/ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नाभित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण पत्र	हां
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-१	हां
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-२	हां
4	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थीकृति।	हां
5	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	हां
6	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट।	नये प्रारूप में संलग्न है।
7	1:50,000 पैमाने का टोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	हां
8	डिजिटल मैप एवं सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	हां
9	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	हां
10	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	हां
11	-गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	हां
12	वैकल्पिक सरेखण तलाशे जाने एवं उन्हे निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	हां
13	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	हां
14	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल	हां
15	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई	हां
16	बार चार्ट।	हां
17	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र	हां
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।	हां
19	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश	हां
20	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	हां
21	बाज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या का प्रमाण पत्र	हां
22	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
23	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	हां



24	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी प्रमाण पत्र	हां
25	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन्य जीव क्षेत्र हेतु)	लागू नहीं
26	राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मात्र ०८ उच्च न्यायालय एवं भारतीय वन्यजीव परिषद की अनुमति।	लागू नहीं
27	प्रभावित होने वाले ग्राम की आम सामाजिक प्रमाण पत्र	हां
28	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले अर्थि, सामाजिक एवं पारिस्थितिय संतुलन का आंकलन (5.00 हेठो से अधिक क्षेत्रफल प्रकरणों में लागू)	लागू नहीं
29	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।	हां
30	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण (केवल जल विद्युतपरियोजना हेतु)	लागू नहीं
31	भवन निर्माण आदि प्रकरणों के ले-आउट प्लान	लागू नहीं
32	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आवश्यकता।	हां
33	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र	हां
34	पर्वतीय क्षेत्र में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण पत्र	हां
35	मानक शर्त मान्य होने का प्रमाण पत्र	हां
36	प्रस्तावित स्थल धार्मिक /पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र	हां
37	वन्यजीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाने जाने का प्रमाण पत्र	हां
38	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र	हां
39	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण पत्र	हां
40	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र	लागू नहीं
41	क्षतिपूरक वनीकरण की दसवर्षीय योजना का प्रावकलन मय मानवित्र	हां
42	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थलों की उपयुक्तता प्रमाण पत्र	हां
43	1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानवित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	हां
44	रंगीन गूगल मानवित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	हां
45	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण /दस गुना/बौनी प्रजातियां /100 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्रावकलन मानवित्र, उपयुक्तता प्रमाण पत्र	हां
46	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना प्रमाण पत्र	लागू नहीं।
47	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मय द्वारा अनुबन्ध।	लागू नहीं
48	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानवित्र व उपचार कार्यों का प्रावकलन।	हां
49	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	हां
50	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र	हां
51	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्रावकलन।	हां
52	लीज अवधि का प्रमाण पत्र।	हां
53	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र।	हां
54	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैटप्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र	लागू नहीं
55	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति (यदि लागू हो)।	लागू नहीं
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु प्रिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं० FC / ११-४३ / २०२१-एफ०सी० दिनांक १६.०१.२०२३ में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-		
a	In respect of linear projects the stipulated norms of 2% and 0.5 towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline date 08.06.2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charge from the user agency.	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
b	The Provisions of wildlife Management plan or Soil Moisture Conservation plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited into the CAMPA account.	
56	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	लागू नहीं।
उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतीनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-		

८१४१



Scanned with OKEN Scanner

57	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जनउपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना उचित होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
58	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात क्षेत्र की रिथलीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
59	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
60	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्तीप को बैंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
61.	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्ज इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
62	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular maycorrizare(VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिकिंसग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जायेगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
63	प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाय कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
64	वैकल्पिक / औद्योगिक प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट(केऽम०एल० फाईल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डम्पिंग जोन के लिए उचित औद्योगिक / टिप्पणियाँ देंगी।	हां
65	प्रस्तावक विभाग को एकशंपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गदंगी नहीं फेंकी जायेगी।	हां
66	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Report Form A part II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	हां
67	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी प्रस्ताव में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	हां
68	प्रस्ताव में संलग्न शीट रिक्त संलग्न की गयी है उक्त प्रपत्र में सूचना अंकित की जाय।	हां
69	प्रस्ताव पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि प्रस्तावक विभाग पूर्व में स्वीकृत वन भूमि प्रस्ताव से सम्बन्धित कोई वित्तीय देनदारी नहीं है।	हां
70	प्रस्ताव की हार्ड प्रति में पृष्ठ संख्या अंकित किये जाने अपेक्षित है।	प्रस्ताव में पृष्ठ सं० अंकित कर दी गयी है।

उपरोक्त सूचना को परिवेश पोर्टल में पार्ट ॥ एवं पार्ट ॥ में ऑनलाईन अपलोड किये जाने के उपरान्त सूचना संलग्नको सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण को जनहित में ध्यान रखते हुए प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे, ताकि प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्नक:- प्रस्ताव की 3 मूल प्रतियाँ।

पत्रांक:- 632 / 121 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

Alma
(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Alma
(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

